

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 02, शुक्रवार, शाके 1948- जुलाई 24, 2026 Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अप्रैल 10, 2026

संख्या प.2(7)वन/2026 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन-अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अंतर्गत रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि उपर्युक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार का अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बन्जर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जाँच तथा अभिलेखन करने के लिये नियुक्त करती है और ऐसी जाँच व अभिलेखन जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17,18 और 19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जाँच और अभिलेखन होने तक एतद्वारा कथित वन-भूमि और बन्जर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में

किसी भूमि को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशुपालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जँाय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र. सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण/क्षेत्रफल है०
1	2	3	4	5	6
1.	“बुचारा सी”	पावटा	कोटपूत ली- बहरोड	उत्तर- ग्राम बुचारा खसरा नं.- 395 गै.मु. पहाड़ (वन विभाग)	ग्राम बुचारा खसरा नं०- 2339/2185 किस्म-बजंड कुल रकबा- 4.675 है०
				दक्षिण- ग्राम बुचारा खसरा नं.- 2341/2340 बजंड (वन विभाग) व खसरा नं.- 2342/2340 बजंड (सिवायचक)	
				पूर्व- ग्राम बुचारा खसरा नं.- 395 गै.मु. पहाड़ (वन विभाग)	
				पश्चिम- ग्राम बुचारा खसरा नं.- 2342/2340 बजंड (सिवायचक)	

हस्ताक्षर,

डी.पी.जागावत,
उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)।

वन खण्ड- “बुचारा सी”
द्वितीय अनुसूची
आरक्षित वृक्षों की सूची

S.No.	Local Name	Botanical Name
1.	<i>Tortlis</i>	<i>Vachellia tortilis</i>
2.	<i>Shisam</i>	<i>Dalbergia sissoo</i>
3.	<i>Ber</i>	<i>Ziziphus mauritiana</i>
4.	<i>Ronj</i>	<i>Acacia leucophloea</i> (Roxb.) Willd.
5.	<i>Kheri, Kumtha</i>	<i>Acacia senegal</i>
6.	<i>Shahtoot</i>	<i>Morus alba</i>
7.	<i>Ardu</i>	<i>Ailanthus excelsa</i>

हस्ताक्षर,

डी.पी.जागावत,
उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)।

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र
(जो लागू नहीं होता है, उसे काट दे)

वन खण्ड- “बुचारा सी”

नाम रेंज- कोटपुतली

वन मण्डल- जयपुर (उत्तर)

प्रत्यावर्तन प्रकरण का नाम- “Construction of Road from Viratnagar Kuhada Mod to Upto Bhhaloji Mod Via Papda, Bada Kakrana, Khala ki Dhani, Talukabas ki Chhind, Talikabas, Pchhudala ki Chhind, Sitopshinghpura, Bhojawas, Bhankari, Choubala, Pathredi, Chowki Rajnota road (MDR-251) Tehsil Viratnagar, District- Jaipur (Rajasthan) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/431545/2023” (4.675 Ha.)

1. प्रारूप में दर्शाई गई भूमि की प्रकृति राजस्व जमाबन्दी में राजकीय वन विभाग जंगलात के नाम से दर्ज हैं। इस भूमि पर वन विभाग द्वारा वानिकीय विकास कार्य करवाये जाने हैं। तथा यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमलदरामद हैं।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन हैं। प्रस्तावित भूमि में प्रथम दृष्ट्या कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नहीं किये हुए है।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्रों में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन हैं। जिन पर भविष्य में वानिकीय विकास कार्य किये जाने की सम्भावना हैं।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 20% से 30% तक का है, एवं इन क्षेत्रों में मुख्यतः संलग्न सूची के प्रजातियों के पेड एवं झाड़ियां हैं।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वन विभाग के अधीन हैं। तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमियां वन सीमाओं से पृथक हैं एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रों के संरक्षण में कोई अवरोध नहीं होगा। विभागाधीन भूमियों का विकास कार्यों में उपयोग हो रहा हैं।
6. प्रस्तावित भूमियों का मानचित्र संलग्न हैं।
7. पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नहीं होने के कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे। किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात् नये प्रस्ताव प्रारूप बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे हैं।
8. इस वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर,

डी.पी.जागावत,

उप वन संरक्षक,

जयपुर (उत्तर)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।